

राजस्व वसुली के लिए निगम ने सील किया 14 दुकान

भिलाईनगर/ वित्तीय वर्ष समाप्ति पर अपने राजस्व वसूली के लिए निगम प्रशासन कमर कस रखा है। जोन एक एवं दो के राजस्व अमले ने आयुक्त के निर्देश पर जोन आयुक्त की उपस्थिति में 14 दुकानों को सील किया।

राजस्व वसूली टीम निगम क्षेत्र के भवन स्वामी द्वारा संपत्ति कर नहीं पटाए जाने के कारण दुकान में वसूली के लिए पहुंचे तो कुछ ने तत्काल राशि जमा कर राहत की मांग की आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने मार्च माह में राशि पटाए जाने का वचन पत्र लेकर राशि जमा लेने के निर्देश दिए। जोन 1 स्मृति नगर के श्यामा चरण पांडे के बकाया राशि सम्पत्तिकर 3 लाख 75 हजार रुपये जमा नहीं करने पर 8 दुकान तथा जोन दो क्षेत्र के भवन स्वामी उत्तम कुमार लोधी के 5 दुकान व भगवंतिन बाई के दुकान को चपडा से सील बंद किया गया। राजस्व अमले ने कार्रवाई के दौरान 8 लाख से अधिक की राशि वसूल किया।

बता दें कि विगत दिनों सुपेला के आकाशदीप काम्प्लेक्स में सील किए 17 दुकानों में से पांच दुकानदारों ने संपत्ति कर की राशि 3 लाख 64 हजार निगम कोष में जमा किया और दुकान का ताला खुलवाया।

निगम प्रशासन ने भिलाई निगम क्षेत्र के भवन मालिकों से अपील किया है अपने सम्पत्तिकर , जल कर, भुभाटक, दुकान किराया , आदि राशि का भुगतान कर विरुद्ध होने वाली विधिसम्मत कार्रवाई से बचेंगे।

कुर्की कार्रवाई में जोन आयुक्त खिरोद्र भाई , यशा लहरे, सहायक राजस्व अधिकारी जे.पी.तिवारी , धीरज साहू जोन राजस्व विभाग के कर्मचारी पुलिस प्रशासन तथा तोडफोड़ दस्ता के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे।



